



प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 05.01.2025

- महिला सम्बन्धी अपराध पर अंकुश लगाने में कानपुर देहात पुलिस की एक और कार्यवाही।
- थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा महिला सम्बन्धी अपराध में 01 नफर वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।
 - थाना भोगनीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 376/2024 धारा 137(2)/87/61(2)/65(1) बीएनएस व 3/4(2) पोक्सो एक्ट में वांछित था अभियुक्त।

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व पुलिस महानिरीक्षक, कानपुर रेन्ज, कानपुर, श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में महिला सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 22.12.2024 को वादी द्वारा दी गई लिखित तहरीर के आधार पर थाना भोगनीपुर पर मु0अ0सं0 376/2024 धारा 137(2)/87/61(2)/65(1) बीएनएस व 3/4(2) पोक्सो एक्ट बनाम 06 नफर नामजद अभियुक्तगण पंजीकृत किया गया था। मुकदमा उपरोक्त में थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुये आज दिनांक 05.01.2025 को मुखबिर खास की सूचना पर वांछित अभियुक्त अनिरुद्ध उर्फ गोलू पुत्र रामदीन निवासी सिमरा शेखपुर थाना सिरसा कलार जनपद जालौन उम्र लगभग 21 वर्ष को थाना भोगनीपुर पुलिस टीम द्वारा समय करीब 11.05 बजे किसान सेवा आश्रम पुखरायाँ के पास थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष नियमानुसार प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. अनिरुद्ध उर्फ गोलू पुत्र रामदीन निवासी सिमरा शेखपुर थाना सिरसा कलार जनपद जालौन।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री जितेन्द्र तिवारी चौकी प्रभारी पुखरायाँ थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात
2. कां0 981 मो0 आसिम चौकी पुखरायाँ थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात
3. कां0 225 लालेन्द्र सिंह चौकी पुखरायाँ थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात

